

उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976
[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1976]

**THE UTTAR PRADESH DEPARTMENTAL INQUIRIES
(ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND
PRODUCTION OF DOCUMENTS) ACT, 1976**

[U. P. Act No IV of 1976]

उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976।

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1976]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने 31 मार्च, 1976 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 2 अप्रैल, दिसम्बर, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 12 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 अप्रैल, 1976 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने प्रारम्भ और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2 — इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गई प्रत्येक जिन पर विभागीय जांच पर लागू होंगे :-
होगा

संक्षिप्त नाम, विस्तार और

विभागीय जांच,
अधिनियम लागू

(क) जो व्यक्ति, राज्य को किसी असैनिक सेवा के सदस्य है या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करते हैं ;

(ख) जो व्यक्ति, निम्नलिखित की सेवा के सदस्य है या उनके अधीन कोई पद धारण किए हुए है : -

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(दो) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण का कोई बोर्ड या

अधिनियम संख्या

1, 1956 निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई कम्पनी न हो) ;

(तीन) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत

कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकारी समादत्त अंश पूंजी के

पचास प्रतिशत से अन्यून को धारण किए है या ऐसी सरकारी कम्पनी

की समनुषंगी कोई कम्पनी ;

(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन

अधिनियम संख्या

21, 1860 रजिस्ट्रीकरण कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकायों में सोसाइटी के

नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार

के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या दोनों है;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 31 मार्च, 1976 का उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट देखिये।

[उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने 3-4] के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976]

[धारा

(ग) जो व्यक्ति खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारणा करने वाले न रहे गये हों, उनके उस समय के

कार्य या लोप के सम्बन्ध में जबकि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे।

3 — इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये —

परिभाषाएं

(क) “विभागीय जांच” का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है, जो :-

(एक) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम; या

(दो) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन बनाये गये, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गये किसी नियम;

के अधीन और अनुसार की जायें;

(ख) “जांचकर्ता प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी ऐसी अधिकारी या प्राधिकारी से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जांच करने के लिये सशक्त है और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे जांच करने की शक्ति प्रतिनिहित का दी है ;

(ग) “आरोप” के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है, जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो या, जहां वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो, वहां कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेंशन को या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिए या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेंशन से वसूल करने लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो।

4— (1) प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्ति होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी साक्षियों को सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात: —
करने की

प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत शक्ति

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसको परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य हो;

(ग) किसी विशेषाधिकारी की अध्यक्षता के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय 1972

अधिनियम संख्या 1,

साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 123 और 124, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी किन्तु उसकी धारा 162 लागू न होगी), किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी रिजर्व 1959

अधिनियम सं० 38ए

बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 की धारा 2 के 5, 1970 खण्ड (क) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तःकरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नये बैंक को :-

अधिनियम सं०

(क) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करे, पेश करने ; या

{उ०प्र० विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने 5—7} के लिये बाध्य करना} अधिनियम, 1976}

{धारा

(ख) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने ; या

(ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने; के लिये बाध्य नहीं करेगा।

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिये जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक द्वारा सन्देशवाहक द्वारा) या उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील और निष्पादित की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है।

(4) जहां कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय, वहां वह उसकी अवज्ञा के लिये कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका समझी जायगी।

(5) जहां कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिस्प्लनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्युलन) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकारी गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाय और उसको जिला के माध्यम से प्रेषित किये बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहां ऐसी किसी आदेशिका को अवज्ञा करने के लिये कोई कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है।

(6) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाले प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कीधारा 345 और 446 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायगा।

5— धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जिनमें धारा	क्षेत्रीय सीमायें,
जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के विस्तार—पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं शक्ति का	4 में विनिर्दिष्ट
तक विस्तृत होगी।	प्रयोग किया जा
सकेगा	
6— राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये शक्ति	नियम बनाने की
अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।	
7— (1) उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेखों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1953, दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता है।	निरसन और अपवाद
सं० 21,	उ०प्र० अधिनियम
	1953
(2) उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	
(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सभी सारभूत दिनांकों वर प्रवृत्त था।	

THE UTTAR PRADESH DEPARTMENTAL INQUIRIES (EN- FORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) ACT, 1976¹

[U. P. ACT NO. IV OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 31, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly On April 2 1976.]

Received the assent of the Governor on April 12, 1976 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette extraordinary, dated April 13, 1976]

AN

ACT

to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in certain departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto-

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:-	
Short title,	1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Departmental Inquiries extent and (Enforcement of Act enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976.
commencement	(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
	(3) It shall be deemed to have come into force on September 17, 1975
Departmental inquiries to which the Act shall apply	2. The provisions of this Act shall apply to every departmental inquiry made in relation to- -
who	(a) persons who are members of any civil service of the State or hold any civil post under the State ;
	(b) persons who are in the service of or hold any post under-
	(i) any local authority ;
Act 1 of 1956	(ii) any Board or Corporation (not being a company with in the meaning of the Companies Act, 1956) owned or controlled by the Government ;
State	(iii) any Government Company, within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty per cent of the paid-up share capital is held by the State Government, or any company which is a subsidiary of such Government Company;
Act 21 of 1860	(iv) any society registered under the Societies Registration Act, 1860, the governing body whereof consists, under rules or the society, wholly of public officers, or nominees of the State Government, or both ;
regulations of	
[The Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Act enforcement [Section 3-4] of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976]	
	(c) persons who have ceased to be members of a service or holders of a post referred to in clause (a) or clause (b), in relation to their acts, or omissions while they were members of such service or holders of such post.
Definition	3. For the purposes of this Act-
	(a) "departmental inquiry" means an inquiry held under and in accordance with-
	(i) any law made by the State Legislature or any rule made thereunder, or
	(ii) any rule made under the proviso to Article 309, or continued under Article 313 of the Constitution. into any charges against any person referred to in section 2 ;

- (b) "inquiring authority" means any officer or authority who is empowered by or under any law or rule for the time being in force to hold a departmental inquiry, and includes an officer or authority to whom the power to hold such inquiry is delegated by the competent authority;
- (c) "charges" include any allegation in respect of which disciplinary action is proposed to be taken against a person while he is in service or while he holds a post, or where he has ceased to be in service or to hold a post, any misconduct or negligence on account of which action by way of withholding or withdrawing pension or any part of it or of recovery from pension of any pecuniary loss caused to the employer is proposed to be taken against him.

Power of
civil authorized
respect inquiring
authority to

4. (1) Every inquiring authority shall have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in of the following matters, namely:-

enforce atten-
dance of
witnesses and

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath ;

production of
other document

(b) requiring the discovery and production of any document or material which is producible as evidence;

ACT I of 1872

(c) subject to any claim of privilege (in respect of which sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 shall mutatis mutandis apply but section 162 thereof shall not apply), the requisitioning of any public record from any court or office.

Act XXXV-III (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the authorised of 1959 inquiring authority shall not compel the Reserve Bank of India, the State Bank of India any subsidiary bank as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act,1959, or any corresponding new Bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 --

Act V of 1970

(a) to produce any books of account or other documents which the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the subsidiary bank or the corresponding new bank claims to be of a confidential nature, or

[The Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Act enforcement
7] of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976]

[Section 5-

the

(b) to make any such books or documents a part of the record of proceedings of the departmental inquiry, or

(c) to give inspection of any such books or documents, if produced to any party before it or to any other person.

- (3) Any process issued by an inquiring authority for the attendance of any witness or for the production of any document may be served and executed either direct (by post or by messenger) or through the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the witness or otter person on whom the process is to be served or executed, voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.
- (4) Where a process is served and executed through the District Judge in accordance with sub-section (3), it shall for the purposes of taking any action for the disobedience thereof, be deemed to be a process issued by the Court of the District Judge.
- (5) Where a process is issued by a tribunal constituted under the Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules,

1947, and is served and executed without its being routed through the District Judge, the

Act V of 1908 tribunal shall, for the purposes of taking any action for the disobedience of any such process, have the same powers as are vested in a civil court under rules 10 to 18 of order 16 in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

Act 2 of 1974 (6) Every inquiring authority making any departmental inquiry under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Territorial 5. For the purposes of exercising the powers specified in section 4, the limits in territorial jurisdiction of every authorized inquiring authority shall extend to which power the limits of the territory to which this Act extends.

specified in
section 4
may
be
exercised

power to make 6. The State Government may, by notification, make rules for the purpose of rules giving effect to the provisions of this Act.

Repeal and 7. (1) The Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses and savings Production of Documents) Act, 1953, is repealed with effect from September U. P. Act XXI 17, 1975.
of 1953

of (2) The Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance witnesses and Production of Documents) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

U.P. ordinance (3) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Departmental no. 1 of 1976 Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Ordinance, 1975, by the aforesaid Ordinance of 1976, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act was in force on all material dates.
